झारखण्ड सरकार

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
झारखण्ड, राँची।

प्रेस विज्ञप्ति

PCPNDT Act की अर्न्तगत राज्य स्तरीय निगरानी बोर्ड की बैठक समपन्न

राँची, दिनांक 18.02.2015, को IPH सभागार नामकुम मे राज्य स्तरीय निगरानी बोर्ड की बैठक श्री0 के0 विधासागर, प्रधान सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा–शिक्षा एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में की गई । डॉ0 विधा गुप्ता, उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, ने PCPNDT Act अर्न्तगत राज्य में किए जा रहे क्रियाकलापों से बोर्ड को अवगत कराया। झारखंड राज्य का लिंगानुपात 947/1000 पुरूष हैं तथा यह अनुपात केन्द्रीय अनुपात से अपेक्षाकृत बेहतर है 940/1000 । झारखंड के लिंगानुपात को बेहतर करने हेतु तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु कारगर कदम उठाए जा रहे है जिसके तहत राज्य तथा जिला स्तरीय निगरानी टीम द्वारा समय–समय पर अल्ट्रासाउण्ड किलिनक्स का निरिक्षण किया जा रहा है। राज्य स्तरीय चारों समितियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण बोर्ड, राज्य सलाहकार समिति, राज्य स्तरीय निरिक्षण एवं अनुश्रवण समिति एवं राज्य समुचित पदाधिकारी।

प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राज्य स्तरीय चार समिति को पूनर्गठित करने हेतु बायोडेटा के साथ प्रस्तावित सदस्यो की सूचि पर जल्द कार्यवाई करने की बात कही। राज्य में चल रहे अल्ट्रासाउण्ड किलनिक्स जिनका अभी तक निरिक्षण नही किया गया है उन किलनिक्स का टास्क फोर्स बनाकर तीव्र गति से निरिक्षण किया जाए। एक महिने का व्यापक ड्राइव चलाकर सभी अल्ट्रासाउण्ड किलनिक्स का निरिक्षण किया जाए एवं PCPNDT ACT का Violation करने वाले किलनिक के खिलाफ कडी कार्यवाई कि जाए। CJM कोर्ट में लंबित मामलों कि सुनवाई की वास्तविक स्थिीति का रिर्पोट 26 ता0 तक जमा करने का आदेश सभी ACMO को दिया गया है। समाज कल्याण विभाग के सचिव को सभी पंजीकृत सूची उपलब्ध कराई जाए जिस्से CDPO द्वारा PCPNDT के कार्यो को कियान्वित करने मे सहयोग मिल सके।

बैठक में श्रीमति मृदुला सिन्हा, प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग, उप सचिव, कल्याण विभाग, अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखण्ड, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं एवं PCPNDT Cell के अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया।

नोडल ऑफिसर
आई0 ई0 सी0 कोषांग